नदियों के किनारों पर स्थापित उद्योगों से होने वाला प्रदूषण

8104. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदी जल प्रदूषण बढ़ रहा है और क्या इस प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सरकार का विचार ऐसे उपाय करने का है जिनके अन्तर्गत ऐसे उद्योगों को नदियों के किनारे स्थापित करने की मंजूरी नहीं दी जायेगी जिनके विसर्जित अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषित होता है और किसानों की जमीन खेती योग्य नहीं रहती जिसके परिणामस्वरूप अनेक किसान धान की फसल उगाने से वंचित रह जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेन्स जारी करने से पहले केन्द्रीय जल प्रदूषण बोर्ड अथवा राज्य जल प्रदूषण बोर्डों की मंजूरी लेने का है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अपशिष्ट जल प्रमुख रूप से धरेलू श्रोत कि बहि:प्रवाह की वजह से नदी जल शहरों तथा कस्बों में अनुप्रवाहों में शीघ्र ही प्रदूषित हो जाता है। तथापि ये कुछ प्रदूषित फैलाव सिंचाई के लिए श्रोत रूप में आयोग्य नहीं पाये गये हैं। उद्योगों को अपने व्यापारिक निस्सरणों का बहि:प्रवाह करने से पूर्व पर्याप्त उपचार करने के लिए उत्तरोत्तर नियंत्रित किया जा रहा है।

(ख) प्रदूषक कारखानों को लाइसेंस जारी करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लेने का प्रस्ताव है।

उपग्रहों का कार्यनिष्पादन

8105. **श्री सत्यनारायण जाटिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा छोड़े गए कौन-कौन से उपग्रह सफल रहे और कौन-कौन से असफल रहे; और

(ख) इस समय कौन से उपग्रह कार्य कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह निम्न प्रकार हैं :

स्वदेशी उपग्रह

(1) आर्यभट

(2) भास्कर-I तथा II

(3) रोहिणी उपग्रह आर० एस०—1,
आर. एस. डी.—1,
आर. डी०—2

(4) एप्पल

कुछ मिशनों में कुछ व्यवधानों के होने के बावजूद, उपर्युक्त सभी उपग्रहों ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इनमें से कोई भी असफल नहीं रहा।

विदेश से प्राप्त उपग्रह

(5) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। ए (इन्सैट—I ए)

(6) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। बी (इन्सैट—1 बी)

जब कि इन्सैट—1 बी 15 अक्टूबर 1983 से अपने प्रचालनीकरण के साथ पूरी तरह सफल प्रमाणित हुआ, इन्सैट—1ए उपग्रह को सौरपाल के न खुलने के कारण हुई लघु विसंगतियों के असा-

धारण संयोजन के परिणाम-स्वरूप सितम्बर 1982 में निष्क्रिय करना पड़ा।

(ख) 1. भास्कर-II और इन्सेट—1बी उपग्रह इस समय प्रचालन में है। भास्कर-II के "समीर" के तीन चैनलों और टी०वी० कैमरों, दोनों से प्रतिबिम्बकियां नियमित रूप में प्राप्त की गई। भास्कर-II के टी० वी०, समीर और डी०सी०पी० नोतभारों से एकत्रित आंकड़ों को विविध उपयोगों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इस समय, भास्कर-II उपग्रह अपने माइक्रोवेव रेडियोमीटर से मुख्य रूप में आंकड़े प्राप्त कर रहा है। चूंकि सभी निर्धारित क्रिया-कलाप पूरे हो गए हैं, अत: भास्कर मिशन को शीघ्र ही समाप्त किया जाना है।

2. इन्सैट—1 प्रणाली को हमारी राष्ट्रीय लम्बाई दूरी के दूर-संचार, जनसंचार और मौसम-विज्ञानीय सुविधाओं को गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों रूपों में बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अक्टूबर 15, 1983 को विविध राष्ट्रीय एजेंसियों ने इन्सैट—1बी के प्रचालनात्मक उपयोग प्रारम्भ किए। सभी सेवाएं पूरी तरह प्रचालन में हैं और संतोषप्रद रूप में कार्य कर रही हैं। प्रधान मन्त्री जी ने 11.2.1984 को इन्सैट—1बी उपग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया।

(3) भविष्य में छोड़े जाने वाले उपग्रह मुख्य रूप में निम्न श्रेणियों के हैं :

— विज्ञान/प्रौद्योगिकी/उपयोग के क्षेत्रों में निम्न-भू-मिशनों के लिए 150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रह।

— 1000 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के ध्रुवीय कक्षीय सुदूर संवेदन उपग्रह।

— इन्सैट प्रणाली को निरन्तरता तथा विकास के लिए संचार और मौसम-विज्ञान के लिए आनुक्रमिक भू-स्थायी अन्तरिक्ष-यान।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

8105. **श्री बिरबाराम फुलवारिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में कुल कितने अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं; और

(ग) उनका राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : (क) से (ग) भारतीय पुलिस सेवा के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश संवर्गों को छोड़कर, 1.3.1984 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।